प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2021**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएमजीएसवाई (बैच-।।, 2017 हेतु प्रोग्राम फण्ड में ट्रेन्च-।) प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 12389.50 लाख (रूपये एक अरब तेइस करोड़ नवासी लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश धनराशि रू0 8259.67 लाख (रूपये बयासी करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार मात्र) कुल रू0 20649.17 लाख (रूपये दो अरब छः करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2291/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2019-20, दिनांक-30.12.2020 के साथ संलग्न निदेशक (आर0सी0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक-28.12.2020 के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएमजीएसवाई (बैच-।।, 2017 हेतु प्रोग्राम फण्ड में ट्रेन्च-।) प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 12389.50 लाख (रूपये एक अरब तेइस करोड़ नवासी लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष योजना की मानक 60:40 के अनुसार मैंचिग राज्यांश धनराशि रू0 8259.67 लाख (रूपये बयासी करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार मात्र) कुल रू0 20649.17 लाख (रूपये दो अरब छः करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेगें कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोंपरान्त ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(5) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नहीं यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रहे धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक-20.12.2019 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(12) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक-24.03.2020 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-85/x-21, दिनांक-22 जनवरी, 2021 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-04/2021/पी-453(1)/अड़तीस-9-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4- श्री देविन्दर कुमार, निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, द पे एण्ड एकाउण्ट ऑफिसर, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।